40

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : दो–निगरानी/सतना/भू0रा0/2017/4352 – विरूद्व आदेश दिनांक 23–10–2017 – पारित व्दारा – तहसीलदार, अमरपाटन जिला सतना – प्रकरण कमांक 9 अ 27/2015–16

1– मुस.महरनिया उर्फ महरानी पत्नि स्व. परमेश्वरदीन
2– लालमणि पुत्र स्व. परमेश्वरदीन ब्राहमण
दोनों निवासी ग्राम बीरदत्त तहसील
अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्व

1– हीरालाल 2– आनन्दकुमार
पुत्रगण स्व. परमेश्वरदीन दोनों निवासी
ग्राम बीरदत्त तहसील अमरपाटन जिला सतना
3– श्रीमती ललिता पुत्री स्व. परमेश्वरदीन
पत्नि बालगोविन्द मिश्रा साकिन लोढौती
तहसील मेहर जिला सतना मध्य प्रदेश
4– श्रीमती प्रेमवती स्व. परमेश्वरदीन पत्नि
देवेन्द्रकुमार साकिन मझियार तहसील
रामपुर वाघेलान जिला सतना
5– श्रीमती बेदवाई पुत्री स्व. परमेश्वरदीन पत्नि
अनिल त्रिपाठी साकिन रामपुर वाघेलान
तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अभिताव चतुर्वेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री अरबिन्द पाण्डेय)

आ दे श

(आज दिनांक 9 – 07 –2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण कमांक 9 अ–27/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–10–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने ग्राम बीरदत्त की कुल किता 22 कुल रकबा 8–472 हैक्टर सामिलाती भूमियों का बटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार अमरपाटन के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178/110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 9 अ–27/15–16 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मूल आवेदन में सॅशोधन किये जाने का आग्रह किया गया, जिसे तहसीलदार अमरपाटन ने अंतरिम आदेश दिनांक 23–10–17 से अस्वीकार किया। तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मूल आवेदन में सॅशोधन किये जाने का आग्रह किया गया है जिसमें बताया है कि बटवारा आवेदन में टाइप की भूल की बजह से दावा के पैरा क्र. 4 में विभाजन अर्सा 20 वर्ष पूर्व हो गया है जबकि 20 वर्ष की जगह 30 वर्ष के सुधार करने करने एंव अना.क्र. 4 प्रतिदावा प्रस्तुत किया है जिससे दावा के संशोधन समाविष्ट किया जाना आवश्यक है विभाजन से संबंधित तथ्यों की स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है तथा बटनवारा के संबंध में पक्षकारों के मध्य विवाद निराकरण हेतु संशोधन से दावा स्पष्ट करने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रकरण में अभी साक्ष्य नहीं हुई है जिसमें प्रस्ताव संशोधन से दावा के स्वरूप एंव प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है।

आवेदकगण व्दारा उक्तानुसार मूल दावे में सॅशोधन जोड़े जाने की मांग को तहसीलदार अमरपाटन ने अंतरिम आदेश दिनांक 23–10–17 से अस्वीकार किया है। विचार योग्य है कि क्या मामले में जब प्रकरण में मौखिक साक्ष्य नहीं हुई है एंव सुनवाई होना है तब क्या ऐसा आवेदन स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं ?

1. राधिका देवी विरूद्व बजरंगी सिंह **M.P.Weekly Notes** 130 पर माननीय **Supreme Court** का न्याय दृष्टांत इस प्रकार है –
(3) सिविल प्रकिया संहिता 1908 – आ. 6 नि. 17 – स्पष्टीकरण के स्वरूप का सॅशोधन – किसी भी समय अनुज्ञात किया जा सकता है।

2. कल्याण सिंह विरूद्व वकील सिंह तथा अन्य 1990 रा.नि. 133 पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री आर.सी.लाहौटी का निम्नानुसार न्याय दृष्टांत है –
(6) Civil P.C.,1908 – O. 6, R. 17 – suit for declaration of title without asking relief of possession – objection regarding maintainability of suit – should be raised at earliest stage – prayer for amendment of relief clause of plaint – should be allowed. A.I.R. 1960 S.C. 335 followed.

स्पष्ट है कि उपरोक्त विवेचना में वर्णित आवेदकगण का व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आवेदन ग्राह्य योग्य है किन्तु तहसीलदार अमरपाटन ने आवेदन अस्वीकार करने में भूल की है जिसके कारण तहसीलदार अमरपाटन के अंतरिम आदेश दिनांक 23–10–17 में आवेदन अस्वीकार करने संबंधी वाक्य विलोपित कर संबंधित आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार अमरपाटन जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 9 अ–27/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–10–17 में अंकित अस्वीकार करने संबंधी वाक्यॉश निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर